

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 3115 /11-सी-अलीगढ़/19022/2018, लखनऊ, दिनांक: मार्च 28, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- अलीगढ़-अनूपशहर मार्ग (एन०एच०-93) किमी० 93 चैनेज 92.960 की बायीं पटरी पर ग्राम-नगौला के खसरा सं०-46/3 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0. 201409 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

प्रस्ताव सं०- अलीगढ़/19022/2018

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०6/58/2018/एफ०सी०/634, दिनांक-07.01.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-2922/14-1 दिनांक 29.03.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3115 /11-सी- अलीगढ़/19022/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, 2314-तीसरी मंजिल टावर-ए द कोरिएन्थम, ए-41, से०-नोएडा।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3115 /11-सी- अलीगढ़/19022/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 2922 / 14-1, दिनांक: अलीगढ़, फरवरी: 29, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

कार्पोरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-अनुपशहर मार्ग (एन0एच0-93) किमी0 93 के चैनैज 92.960 की बायीं पट्टी पर ग्राम-नगौला के खसरा संख्या-46/3, में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जाने रहे आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। प्रस्ताव संख्या-19022/2016

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/58/2018/एफ0सी0/634 दिनांक 07.01.2023, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 11सी-2071/FP/UP/Others/2018 दिनांक 11.01.2022 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ का पत्रांक-3097/14-10, दिनांक 15.02.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद-अलीगढ़ में अलीगढ़-अनुपशहर मार्ग (एन.एच.-93) किमी0 93 के चैनैज 92.960 की बायीं पट्टी पर ग्राम नगौला के खसरा संख्या-46/3 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) से किया गया है, जो कि निम्नवत् प्रेषित है:-

S.No.	Condition	Compliance
1	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 201 trees in Chherat Forest Block Range & District-Aligarh at the cost of User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	प्रयोक्ता एजेंसी से क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु छैरत वन ब्लॉक में चिन्हित 201 पौधों के रोपण हेतु अवन्त वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु प्राप्त धनराशि से स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जायेगा एवं बहुप्रजाति रोपण प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। उक्त हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
3	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में 201 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0-1,72,700.00 (एक लाख बहात्तर हजार सात सौ मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
4	The State Government shall charge the Net	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 के

CF/D/Dman/Land Trans./Proposal no. 19022/2016

	Present Value (NPV) for the 0.201409 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry Vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	सम्बन्ध में दिनांक 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 एवं 09/05/2008 को निर्गत आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 18.09.2003, 03.10.2006 व 05.02.2009 के क्रम में निर्धारित एनपीवी0 दरों के अनुसार विभिन्न पारवर्षिक रिट पिटीशन आदेशों के अनुसार निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी0) की धनराशि 9,57,780/- की दर से $0.201409 \times 9,57,780 = 1,92,905.00$ (एक लाख नानवे हजार नौ सौ पैंच मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
6	Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA guidelines dated 29.01.2018 and deposited to CAMPA fund.	शर्त के अनुपालन में दण्डात्मक एनपीवी की धनराशि ₹0 10,97,909.00 (दस लाख सत्तासी हजार नौ सौ नौ मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
7	The State Government shall fix the responsibility of the official responsible for violation of Forest (Conservation) Act, 1980) so as to enable this office to file a case as per FCA Act and rules.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को न रोक पाने से दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है- 1. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र संख्या-1437/2-1 दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। श्री इन्द्रजीत सिंह, संवर्धन अधिकारी वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। 3. श्री अशोक कुमार निमेष, क्षेत्रीय वन अधिकारी, को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-531/2-1371(का०बता०नौ०(2) दिनांक 24.09.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। श्री अशोक कुमार निमेष, क्षेत्रीय वन अधिकारी वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है।
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी, अलीगढ़ महोदय द्वारा निर्गत एफ.आर. ए. सम्बन्धित प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति से पूर्व

		फाइल में संलग्न किया गया है। संवर्ध हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
9	Greenery will be maintained by User Agency around Periphery of petrol pump.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
10	User Agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees the same shall be demarcated by 2 feet wall.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
11	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
12	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MoRTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	शर्त के अनुपालन में प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
14	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
15	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission.	प्रस्ताव ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर प्रदर्शित न होने के कारण, सूचनाएं अपलोड किया जा पाना सम्भव नहीं है। प्रस्ताव ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर आवश्यक सूचनाएं अपलोड करा दी जायेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कार्य करने की अनुमति निर्गत नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
17	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (http://parivesh.nic.in/).	शर्त के अनुपालन में समस्त मांग की गयी धनराशि, कैम्पा फण्ड में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रेषित वचनबद्धता संलग्न है।
18	The Compliance Report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in/).	अनुपालन आख्या को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाइन e-portal (http://parivesh.nic.in/), पर अपलोड करा दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रेषित वचनबद्धता संलग्न है।
	CA amount as per proposal	1,28,600.00
	CA amount deposited	1,72,700.00
	Difference in amount	44,100.00
	Reason for difference	प्रस्ताव प्रेषित करते समय मजदूरी दर ₹० 175 प्रतिदिन होने एवं मजदूरी दर ₹० 201 प्रतिदिन होने

	के कारण क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु जमा की गयी धनराशि में वृद्धि हुई है।
NPV amount as per proposal	1,26,082.00
NPV amount deposited	1,92,905.00
Difference in amount	66,823.00
Reason for difference	भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.01.2022 एवं 19.01.2022 द्वारा एन.पी.वी. दरों में की गयी वृद्धि के कारण एन.पी.वी. मद में जमा की गयी धनराशि में वृद्धि हुई है।
Any other amount deposited- (Complete details be provided)	NA
Penal NPV amount as per proposal	1,41,212.00
Penal NPV amount deposited	10,87,909.00
Difference in amount	9,46,697.00
Reason for difference	भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.01.2022 एवं 19.01.2022 द्वारा एन.पी.वी. दरों में की गयी वृद्धि एवं उल्लंघन के समयकाल में वृद्धि होने के कारण दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु जमा की गयी धनराशि में वृद्धि हुई है।
CAMPA confirmation	Not required as amount has been submitted by Online e payment process. Online Payment History enclosed herewith.

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(गंगा प्रसाद)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि-1-डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0) वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।